भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3455

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 / 19 श्रावण, 1948 (शक)

ईपीएस-1995

3455. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ईपीएस-1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000/- रुपये से बढ़ाकर 7,500/-रुपये करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ईपीएस-1995 में शामिल किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कुल कितनी पेंशन राशि प्राप्त की गई है; और

(ग) ईपीएस-1995 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): ईपीएस, 1995 कर्मचारी पेंशन योजना एक "निश्चित अंशदान-निश्चित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000/- रुपये प्रति माह तक की राशि के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर अंशदान से मिलकर बनता है। इस योजना के अधीन सभी लाभों का भुगतान इसी संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के अधीन अधिदेशित किए गए अनुसार निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है।

सरकार, बजटीय सहायता के माध्यम से ईपीएस, 1995 के अधीन पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

ईपीएस 1995 का स्थान अब ईपीएस 2026 ने ले लिया है।

सरकार निधि की संपोषणीयता और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख): दिनांक 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन पेंशनभोगियों की कुल संख्या 85,84,604 है। इस योजना के अधीन दिनांक 31.03.2026 तक वितरित की गई पेंशन की कुल राशि 15,819.28 करोड़ रूपये है।

(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसरण में सेवानिवृत्त आवेदकों को उच्च वेतन पर पेंशन के कुल 1,49,806 पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किए गए हैं।
